

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/ई0-सिगरेट/2022-23/124 लखनऊ/दिनांक-15/03/2023

विषय:- **The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019** के अर्न्तगत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबन्ध पर इन्फोर्समेंट की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया भारत सरकार के अध्यादेश संख्या-59, दिनांक 18.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (संलग्नक-क) जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विक्रय एवं उपभोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है। साथ ही उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1015/पांच-7-2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 (संलग्नक-ख) द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में निर्गत किये जा चुके हैं।

उक्त के क्रम में कृपया भारत सरकार के पत्र संख्या-P.16012/23/2019-TC दिनांक 10 फरवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (संलग्नक-ग) जिसके माध्यम से The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 का अक्षरशः अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिस हेतु शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप अपने जनपद में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2023 एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1015/पांच-7-2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट एन0टी0सी0पी0 एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही महानिदेशालय की ई-मेल-nodal.ntcp.up@gmail.com पर भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,  
(लिली सिंह)  
महानिदेशक  
(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)  
तद्दिनांक

पत्रांक :-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/ई0-सिगरेट/2022-23/  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 2-प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
- 3-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 4-समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ जनपदों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 5-महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 6-उप महाप्रबन्धक, एन0टी0सी0पी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

(एन0के0 गुप्ता)  
निदेशक(स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/ई0-सिगरेट/2022-23/

लखनऊ/दिनांक-15/03/2023

विषय:- **The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019** के अर्न्तगत इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबन्ध पर इन्फोर्समेंट की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया भारत सरकार के अध्यादेश संख्या-59, दिनांक 18.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (संलग्नक-क) जिसके माध्यम से इलेक्ट्रानिक सिगरेट के विक्रय एवं उपभोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है। साथ ही उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1015/पांच-7-2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 (संलग्नक-ख) द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में निर्गत किये जा चुके हैं।

उक्त के क्रम में कृपया भारत सरकार के पत्र संख्या-P.16012/23/2019-TC दिनांक 10 फरवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (संलग्नक-ग) जिसके माध्यम से The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 का अक्षरशः अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिस हेतु शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप अपने जनपद में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2023 एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1015/पांच-7-2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट एन0टी0सी0पी0 एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही महानिदेशालय की ई-मेल-nodal.ntcp.up@gmail.com पर भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(लिली सिंह)

महानिदेशक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

तद्दिनांक

पत्रांक :-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/ई0-सिगरेट/2022-23/125-30

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 2-प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
- 3-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 4-समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ जनपदों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 5-महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 6-उप महाप्रबन्धक, एन0टी0सी0पी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

fo (एन0के0 गुप्ता)  
निदेशक(स्वास्थ्य)